

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—आश्विन 18, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-43.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.1	वेट अधिनियम के तहत पंजीयन प्रदाय करना.	संबंधित वृत्त अधिकारी.	01 कार्य दिवस.	संबंधित संभागीय उपायुक्त.	01 कार्य दिवस.	संबंधित अपर आयुक्त.
43.2	वृत्ति कर अधिनियम के तहत पंजीयन प्रदाय करना.	संबंधित वृत्त अधिकारी.	01 कार्य दिवस.	संबंधित संभागीय उपायुक्त.	01 कार्य दिवस.	संबंधित अपर आयुक्त.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.